न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 73/2022(2022/)

1. गंगासिंह पुत्र श्री शत्रुघ्नसिंह जाति राजपूत निवासी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

[redacted]वकील :– श्री पवन सिंह भाटी

पेशकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2069–72** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
134–155	3095 3096 3101 3104 485	0.43 13.18 1.20 0.09 6.70	गै.मु.पाल चा.2 खड्डा बारानी 2 गै.मु.पाल बारानी 1
	कुल किता 1	रकबा 0.30हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है तथा वर्णित आराजीयात मौके पर प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग, उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के पड़ौसियान का कोई लेना देना नहीं है, परन्तु वे अकारण ही प्रार्थी से रंजिश रखते हैं तथ प्रार्थी की हक, हिस्से व कब्जे, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग, उपभोग की भूमि को हड़पने की बदमंशा रखते हैं। उन्होंने उक्त भूमि की सीमा को हांक जोत कर नष्ट कर दिया है, जिससे सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। आराजीयात के पड़ौसियान प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग, उपभोग व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:05 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 134–155 के कुल किता 5, कुल रकबा 21.60हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner